158

संख्याः—3021 /XVII-1/2013—01(44)/2013

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव/प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा/तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

समाज कल्याण अनुभाग—1 देहरादून, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013

विषयः— **राज्य के ए0आई0सी0टी0ई0/एम0सी0आई0 के द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी एवं चिकित्सा संस्थानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र—छात्राओं, जो भारत सरकार की दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की श्रेणी में आते हैं, को निःशुल्क प्रवेश दिये जाने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित सीटों को निजी संस्थानों के द्वारा सामान्य घोषित किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर समाज कल्याण विभाग की सहमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः—1921/XVII-1/2013—01(44)/2013 दिनांक 10 जुलाई, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त उल्लिखित शासनादेश के द्वारा राज्य के अन्तर्गत ए0आई0सी0टी0ई0/एम0सी0आई0 (All India Council for Technical Education/Medical Council of India) के द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त तकनीकी एवं चिकित्सा संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को को प्रवेश का अवसर प्रदान किये जाने हेतु निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था करते हुये स्पष्ट किया गया था कि भारत सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र—छात्राओ को निम्न शुल्क 100 % प्रतिपूर्ति की जाती है:—

(a) टयूशन फीस (b) नामांकन शुल्क (c) पंजीकरण शुल्क (d) क्रीडा शुल्क (e) यूनियन फीस (f) पुस्तकालय/मैगजीन फीस (g) चिकित्सा परीक्षण एवं इसी तरह के अन्य तथा हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को प्रतिमाह रू0 1200 रू0 एवं दैनिक शिक्षार्थियों को प्रतिमाह रू0 550 छात्रवृत्ति दी जाती है।

जबकि Caution Deposit जैसे Refundable शुल्क भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।

3. उक्त उल्लिखित शासनादेश में तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रत्येक छात्र—छात्रा से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण के संबंध में की गई व्यवस्था में संशोधन करते हुये स्पष्ट किया जाता है कि तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थानों द्वारा "उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006" एवं "उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2010" के प्रावधानान्तर्गत निर्धारित शुल्क तथा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय अथवा राज्य के अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार ली जाने वाली शुल्क की प्रतिपूर्ति संस्थानों को की जायेगी।

4. उपरिल्लिखित शासनादेश की शेष प्रावधान एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

/

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या-3021 (1)/XVII-1/2013-01(44)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/नियोजन/राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, समाज कल्याण, हल्द्वानी-नैनीताल/निदेशक, जनजाति कल्याण, देहरादून को उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, सचिवालय।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव।